रजिस्ट्री सं. डी० (डी० एन०)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 501] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 10, 1984/आश्विन 18, 1906
No. 501] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCT. 10, 1984/ASVINA 18, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 1984

का. आ. 775 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 12 के उप पैरा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और

उर्वरक विभाग) के आदेश सं. का. आ. 195 (अ) तारीख 2 अप्रैल, 1979 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश से उपाबद्ध सारणी में, "प्रवर्ग 1 विनिर्मितियां" शीर्षक के अधीन क्र. सं. 7 के सामने स्तंभ 5 में :

(1) 100 मि. ग्रा. टैबलेट की प्रबलता की 100 वाली बोतल के सामने "4.41" अंकों के स्थान पर "4.94" अंक रखे जाएंगे ; और

(2) 300 मि. ग्रा. टैबलेट की प्रबलता की 1000 वाली बोतल के सामने "84.70" अंकों के स्थान पर "94.71" अंक रखे जाएंगे ।

[सं. 9 (24)/84-डी 2]

ई. एम. मूर्ति, उप सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

Office of the Development Commissioner (Drugs)

ORDER

New Delhi, the 10th October, 1984

S.O. 775(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (2) of paragraph 12 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following further amendments in the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S.O. 195(E), dated the 2nd April, 1979, namely :—

In the Table annexed to the said Order, under the heading "Category I Formulations", against serial number 7, in column 5 :—

(i) against the pack size 100's bottle of strength 100mg/tab, for the figures "4.41", the figures "4.94" shall be substituted, and

(ii) against the pack size 1000's bottle of strength 300mg|tab. for the figures "84.70", the figures "94.71" shall be substituted.

[No. 9(24)|84-D.II]

E. N. MURTHY, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984